

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2018/ 2239

दिनांक - 20/12/2018

प्रार्थीगण
1 पदमसिंह 2 चन्दनसिंह
पिसरान सांगसिंह जाति
राजपूत निवासी बाड़मेर
शहर तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1 अमिया पत्नी किरताराम 2 मूलाराम पुत्र किरताराम
जाति प्रजापत निवासी इन्द्रा कॉलोनी बाड़मेर 3
बलवन्तसिंह पुत्र पूनमसिंह जाति राजपूत निवासी लक्ष्मी
नगर बाड़मेर 4 हुकमसिंह 5 छतरसिंह पिसरान सांगसिंह
जाति राजपूत निवासी लक्ष्मी नगर बाड़मेर तहसील
बाड़मेर जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-754/2018

दिनांक- 20/12/2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर शहर पटवार क्षेत्र बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2739/1359 रकबा 15.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2018/ 2240 - 2243

दिनांक- 20/12/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर शहर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. पदमसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत वगैराह निवासी बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी अमिया पत्नी किरताराम वगैराह जाति प्रजापत निवासी इन्द्रा कॉलोनी बाड़मेर तहसील बायतु व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर